

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर(म.प्र.)

-:: नीलामी की सूचना ::-

क्रमांक-4.62.6/तीन-3-07/2007

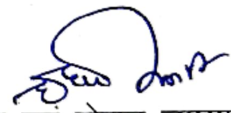
अक्टूबर
जबलपुर, दिनांक-05 सितम्बर, 2026

जिला न्यायालय जबलपुर का निम्नलिखित वाहन जहां जिस स्थिति में है, की बिक्री दिनांक 14.11.26 को सुबह 02:00 PM बजे जिला न्यायालय भवन, जबलपुर के परिसर में खुली नीलामी द्वारा किया जाना है। अतएव संबंधितों को सूचित किया जाता है कि उक्त वाहनों के क्रय हेतु विहित शर्तों के अधीन नीलामी में भाग ले सकते हैं:-

-:: वाहन का विवरण ::-

वाहन क.	मॉडल वर्ष	वाहन का प्रकार	निर्धारित प्राईस	विभाग का नाम	चेविस नं.	इंजन नं.
MP02HC 0306	2015	टाटा जेस्ट	1,44,000/-	कार्यालय प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर	MAT623226F LA02627	REVTRNO1AUV P01412

नीलामी से संबंधित आवश्यक शर्तों की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर की वेबसाईड <https://mphc.gov.in/tenders> एवं जिला न्यायालय जबलपुर की वेबसाईड <https://jabalpur.dcourts.gov.in/notice-category/tenders/> से प्राप्त कर सकते हैं।

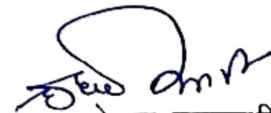

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

0/L

कार्यालय-प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर(म.प्र.)

—:: नीलामी की शर्तें ::—

1. शासकीय वाहन क्रमांक एम.पी.02एच.सी. 0306 टाटा जेस्ट जिला न्यायालय प्रांगण में निरीक्षण हेतु उपलब्ध रहेगा। कार्यालय समय 10:30 ए.एम. से 05:30 पी.एम. के मध्य जिला नाजिर नाजरात अनुभाग, जबलपुर की उपस्थिति में निरीक्षण किया जा सकता है।
2. वाहन नीलामी हेतु राशि 5,000/- (अंकन-पांच हजार रुपए मात्र) अमानत राशि जिला नाजिर, नाजरात अनुभाग, जबलपुर के पास नीलामी के एक दिन पूर्व जमा कर रसीद प्राप्त करना होगा।
3. वाहन जहां है, जिस स्थिति में है, विक्रय किया जावेगा।
4. अमानत राशि जमा करने की मूल रसीद के साथ ही नीलामी में भाग लिया जा सकेगा।
5. उच्चतम बोली स्वीकार करने पर विचार किया जावेगा।
6. बोली स्वीकार होने पर तत्काल एक मुश्त राशि संबंधित विभाग के पास जमा करना होगा, तत्पश्चात् ही वाहन उपलब्ध कराया जावेगा।
7. बोली की राशि समय पर न जमा करने पर अमानत राशि राजसात कर ली जावेगी।
8. बोली स्वीकार करने या न करने का पूर्ण अधिकार प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय का होगा।
9. उक्त दिनांक को नीलामी की कार्यवाही पूर्ण न होने की दशा में अगले दिनों में भी निरंतर चालू रहेगी।
10. उक्त वाहन की खुली नीलामी से संबंधित आवश्यक जानकारी जिला नाजिर नाजरात अनुभाग, जबलपुर के मो.नं.-9893656262 पर संपर्क किया जा सकता है।
11. इच्छुक व्यक्ति अपने वैधानिक पहचान पत्र के साथ नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी से संबंधित आवश्यक शर्तों की जानकारी जिला न्यायालय जबलपुर के बोर्ड व कार्यालय से ली जा सकती है।


प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर (म.प्र.)

0/1